उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–57/2019–20

United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch

बनाम्

M/s Jyoti Arts

–: आदेश :–

24.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro के द्वारा धारा–14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Jyoti Arts प्रो0 श्री ओमकार प्रसाद वर्णवाल पिता स्व0 लक्ष्मी वर्णवाल, गायत्री नगर टाँड़ बालीडीह, जरीडीह, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro की ओर से शाखा प्रबंधक के द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैंक का पक्ष रखते हुए कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All the part and parcel of the property consisting of land and the structures thereon:- Equitable Mortgage /Registered Mortgage of Land/Building bearing Deed No. 3669 dated 20.08.1990, Khata No.-06, Plot No.-928, Thana No. 13, Area-03 decimals and structures thereon situated at Vill. Gayatri Nagar, Balidih standing in the name of Sri Omkar Lal Barnwal s/o Lt. Laxmi Lal Barnwal) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 26,00,000.00 (छब्बीस लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप प्रश्नगत संपत्ति को नीलामी के माध्यम से नियमानुसार बिक्री कर दी गई है। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

अतः प्रथम पक्ष की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की बकाया राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। सुनवाई के दौरान विपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहना स्पष्ट करता है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है। प्रश्नगत संपत्ति को नीलामी के माध्यम से बिक्री किया जा चुका है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।